लोक सभा आम
चुनाव, 2014

समाहरणालय खगड़िया
(निर्वाचन शाखा)
आदेश

लोक सभा आम निर्वाचन, 2014 के सफल एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु इस कार्यालय का आदेश ज्ञापांक– 85/निर्वा0, दिनांक 25.02.2014 के द्वारा जिला स्तर पर कुल 19 कोषांगों का गठन किया गया था। पुनः ज्ञापांक 264/निर्वा0 दिनांक 13.03.14 के द्वारा 03 कोषांगो का गठन किया गया था। चुनाव के संदर्भ में आयोग से प्राप्त नये दिशा–निर्देश तथा पत्रांक 2203 दिनांक 22.03.2014 के आलोक में आम सभा, रैली, जुलूस, चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर/वाहन के उपयोग तथा गैरवाणिज्यिक/दुरस्थ/हवाई अड्डा/हैली पैड के उपयोग हेतु अनुमति/अनापत्ति के लिए Single Window System कोषांग का गठन किया जाता है, जिससे संबंधित विवरणी निम्नवत है–

23. PERMISSION CELL (Single Window System)

इस कोषांग के वरीय प्रभार में मो0 अब्दुल वहाब अंसारी, उप विकास आयुक्त, खगड़िया, मो0–9471818373 को नामित किया जाता है।

कोषांग के नोडल पदा0 का नाम एवं पदनाम	कोषांग के पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम	कोषांग से संबंद्ध सहायक कर्मियों का नाम एवं पदनाम
1. **श्री रमेश कुमार मल्ल** पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, खगड़िया मो0– 9771050255	1. **मो0 मुर्शीद अंसारी** ग्रामीण विकास पदाधिकारी, खगड़िया। 2. **श्री विमल कुमार घोष** सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया। 3. **श्री संजय कुमार राय** सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया।	1. **श्री अनिल कुमार** स्टेनो, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय, खगड़िया 2. **श्री सुरेन्द्र कुमार** लिपिक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय, खगड़िया, मो0–8298585955 3. **श्री विजय प्रकाश** लिपिक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) कार्यालय, खगड़िया, 4. **श्री अजय कुमार** कार्यपालक सहायक, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, मानसी 5. **मो0 अनवर** परिचारी, सामान्य शाखा, खगड़िया।

कोषांग का कार्यालय : सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी का कार्यालय, खगड़िया

कोषांग का दायित्व :

लोक सभा आम निर्वाचन 2014 के परिपेक्ष्य में आम सभा, रैली, जुलूस, चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर/वाहन के उपयोग तथा गैरवाणिज्यिक/दुरस्थ/हवाई अड्डा/हैली पैड के उपयोग हेतु अनुमति/अनापत्ति दिये जाने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के सभी निदेशों का अक्षरशः पालन करना।

आवेदक को सभा/जुलूस के परिसर के स्वामी/प्रभारी (प्रधानाध्यापक इत्यादि) की सहमति/अनापत्ति आवेदन के साथ ही जमा करनी होगी। आवेदन के साथ सभा, रैली/जुलूस के खर्च का ब्यौरा एनेक्सर–16 में आवेदक को दर्ज करना होगा। इसके बिना कोई अनुमति नही दी जायेगी। प्रचार वाहन की अनुमति पूरे लोक सभा क्षेत्र हेतु दी जायेगी, परंतु सभा/जुलूस/रैली की अनुमति खगड़िया जिलान्तर्गत ही दी जा सकेगी।

प्रचार वाहन की अनुमति देने से पूर्व गाड़ी के सभी कागजात की स्वअभिप्रमाणित छाया– प्रति आवेदक को संलग्न करनी होगी तथा प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकर के उपयोग की

अनुमति हेतु आवेदक को प्रचार वाहन की निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी गई अनुमति को अनुलग्नित करना होगा।

थानों में फैक्स/ईमेल की सुविधा नही है। अतः जिला स्तर से 24 घंटे के अंदर रैली/सभा से संबंध में थाना से लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना कठिन है। अतः आवेदक संबंधित थाना प्रभारी से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आवेदन के उपांत में अथवा अलग से प्राप्त कर अनुलग्नित करके ही जिला स्तर पर आवेदन दें।

आवश्यकतानुसार कार्यपालक पदाधिकारी, भवन प्रमंडल खगड़िया, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति एवं अग्निशमन पदाधिकारी, से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कोषांग से लिया जायेगा।

इसी के साथ लोक सभा निर्वाचन 2014 हेतु अनुमंडल पदाधिकारियों के कार्यालय से कार्यक्रम से सभा/रैली/जुलूस/लाउडस्पीकर/वाहन के अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था समाप्त की जाती है।

लोक सभा आम निर्वाचन 2014 के परिपेक्ष्य में आम सभा, रैली, जुलूस, चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर/वाहन के उपयोग तथा गैरवाणिज्यिक/दुरस्थ/हवाई अड्डा/हैली पैड के उपयोग हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जारी करने हेतु श्री रमेश कुमार मल्ल, पुलिस उपाधीक्षक (मु0), खगड़िया को नामित एवं प्राधिकृत किया जाता है।

निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 2203 दिनांक 22.03.14 एवं भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 464/INST/2014-EPS दिनांक 20.03.2014 को संलग्न करते हुए निदेश है कि उपरोक्त पत्र में वर्णित कंडिका का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

Premission Cell के प्रभारी सभा/जुलूस/रैली की आदेश की सूचना संबंधित SDO/SDPO/SHO/BDO/VST/MCC/निर्वाचन व्यय कोषांग देंगे। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी सभा, जुलूस, रैली की विडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करायेंगे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, खगड़िया

ज्ञापांक 623 /निर्वा0, दिनांक 28/03/14

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/सभी प्रतिनियुक्त सहायकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, खगड़िया।